सं. ए/96295/मुप्रअ/भर्ती-2

रक्षा मंत्रालय

(संयुक्त सचिव एंव मु.प्र.अ) का कार्यालय

कार्यालया ज्ञापन

विषय: रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग (सहायक फिल्म संपादक श्रेणी-2, ज्येष्ठ प्रक्षेपक, प्रक्षेपक, सहायक रिकार्डिस्ट और फिल्म पुस्तकालयाध्यक्ष) (समूह'ग'पद) भर्ती नियम, 2019 का प्रकाशन।

अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित भर्ती नियम को बनाने संबंधी अधिसूचना की पाँच प्रतियाँ इसके साथ भेजने का निर्देश हुआ है :-

"रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग (सहायक फिल्म संपादक श्रेणी-2, ज्येष्ठ प्रक्षेपक, प्रक्षेपक, सहायक रिकार्डिस्ट और फिल्म पुस्तकालयाध्यक्ष) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 का प्रकाशन"।

सरकार द्वारा यथा स्वीकृत नियमावली का.नि.आ. 43 दिनांक 27 अप्रैल 2019 के अंतर्गत प्रकाशित की जा चुकी है।

हरिश राव

(हरिश राव)
प्र.अ, मुप्रअ/भर्ती-2
22 मई 2019

कार्मिक एवम प्रशिक्षण विभाग/स्था.(आर आर) - (पाँच प्रति)
विधि मंत्रालय/ विधि -1 - एक प्रति
प्रतिलिपि : (2 प्रति)
रक्षा मंत्रालय के सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग
जन संपर्क निदेशालय, रक्षा मंत्रालय

प्रतिलिपि (सूचनार्थ) :
सं.स एवं मुप्रअ के पी पी एस, निदेशक(एच आर) के पी एस, निदेशक (ई एंड ए) के पी ए, उप मुप्रअ (पी एंड एल), उप मुप्रअ (एफ एम), उप मुप्रअ (स्पेशल परोजेक्ट), उप मुप्रअ (क्यू), उप मुप्रअ (ई डब्लू), उप मुप्रअ (डी सी डब्लू), उप मुप्रअ (ए), उप मुप्रअ (एम पी एंड बी), उप मुप्रअ/पी-1, मुप्रअ/पी-2ए/बी, मुप्रअ/आर-1, मुप्रअ/आर-3, मुप्रअ/सी पी सेल, मुप्रअ/विधि सेल, मुप्रअ कार्यालय के सभी प्रशासनिक अनुभाग और मुप्रअ/ई डी पी (मुप्रअ वेबसाइट पर अपलोड हेतु)।

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 12] नई दिल्ली, अप्रैल 21—अप्रैल 27, 2019, शनिवार/वैशाख 1— वैशाख 7, 1941

No. 12] NEW DELHI, APRIL 21— APRIL 27, 2019, SATURDAY/ VAISAKHA 1 — VAISAKHA 7, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2019

का.नि.आ. 43.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2001, जहाँ तक सहायक फिल्म संपादक श्रेणी-2, ज्येष्ठ प्रक्षेपक, प्रक्षेपक, सहायक रिकार्डिस्ट और फिल्म पुस्तकालयाध्यक्ष से संबंधित है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग में कतिपय समूह 'ग' की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता :** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**
(1)	(2)	(3)
सहायक फिल्म संपादक श्रेणी-2	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	**चयन अथवा अचयन पद**
(4)	(5)
स्तर-5 (रु. 29200-92300)	अचयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(6)
अठारह वर्ष और सत्ताईस वर्ष के बीच । [केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पैतालीस वर्ष तक) की जा सकती है] । **टिप्पण:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(7)
आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण और (ii) फिल्म या वीडियो स्टूडियो में फिल्म या वीडियो संपादक की सहायता में दो वर्ष अनुभव **टिप्पण:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । **वांछनीय:** फिल्म संपादन का ज्ञान ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नही	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**
(8)	(9)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष